किशन लाल और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

23 मार्च, 1990

[के. जगन्नाथ शेट्टी, न्यायाधीश और आर. एम. सहाय, न्यायाधीश]

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961: खंड 40 और अनुसूची-मण्डी शुल्क-का कर- कृषि उपज के रूप में खंडसरी, शक्कर, गुड़ और चीनी पर-की वैधता।

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 14,19, 301, 304, 246, 254(2), सातवीं अनुसूची, सूची I प्रविष्टि 52, सूची II प्रविष्टियाँ 28,66 और सूची III प्रविष्टि 33-मंडी शुल्क- का कर- कृषि उपज के रूप में खंडसरी, शक्कर, गुड़ और चीनी पर-राज्य विधानमंडल-की योग्यता-राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 धारा 40 और अनुसूची-की प्रतिकूलता और वैधता।

शब्द और वाक्यांशः ' चीनी '-' कृषि उपज '- का अर्थ।

इस न्यायालय में दायर रिट याचिका में, राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर मंडी शुल्क लगाने की वैधता में विधायी क्षमता की कमी और अनुसूची में कृषि उपज के रूप में खंडसरी, शक्कर, गुड़ और चीनी को मनमाने ढंग से शामिल करने पर चुनौती दी गई थी। यह तर्क दिया गया कि चीनी का समावेश मनमाना था क्योंकि यह अनुसूची VII की

सूची I की प्रविष्टि 52 के तहत सार्वजनिक महत्व की एक घोषित वस्तु होने के कारण, राज्य विधानमंडल को इस पर कानून बनाने से रोक दिया गया था और यह कि एक मिल या कारखाने की उपज होने के नाते, इसे कृषि उपज नहीं माना जा सकता था, जो मूल रूप से मिट्टी से या के उत्पादन तक ही सीमित थी।

याचिकाओं को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 चीनी उन वस्तुओं में से एक है जिसे राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम,

1961 की अनुसूची में वैधानिक रूप से, शुरुआत से ही शामिल किया गया था। इस

तरह का समावेश कई राज्यों में पाया जाता है। इसे बाद में हटा दिया गया था या

फिर से शामिल किया गया था या फिर से समूहीकृत किया गया था या बाद में

जोड़ा गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधिनियम की धारा 40 राज्य

सरकार को कृषि उपज की अनुसूची में किसी भी वस्तु को संशोधित करने या

शामिल करने का अधिकार देती है। इस तरह की प्रत्यायोजित शक्ति का अस्तित्व

कानूनों की सामान्य विशेषता है। इसमें कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं बताई जा

सकती थी। इसलिए, विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यायोजन पर आधारित किसी

भी चुनौती को गलत समझा गया था। [144 एच, 145 ए-बी]

1.2 अधिनियम में 'कृषि उपज' शब्द की परिभाषा में सभी उपज शामिल हैं चाहे वे कृषि, बागवानी, पशुपालन या अन्यथा जैसे अनुसूची में निर्दिष्ट हो। किसी शब्द को जोड़ने या शामिल करने और कृत्रिम रूप से भी परिभाषित करने की विधायी शक्ति के अलावा, परिभाषा जो संपूर्ण नहीं है लेकिन समावेशी है, न तो मिल या कारखानों

में उत्पादित किसी भी वस्तु को बाहर करती है और न ही यह अपने दायरे को मिट्टी के उत्पाद तक सीमित करती है। किसी शब्द को जोड़ने या शामिल करने और कृत्रिम रूप से भी परिभाषित करने की विधायी शक्ति के अलावा, परिभाषा जो संपूर्ण नहीं है लेकिन समावेशी है, न तो मिल या कारखानों में उत्पादित किसी भी वस्तु को बाहर करती है और न ही यह अपने दायरे को मिट्टी के उत्पाद तक सीमित करती है। न ही किसी भी चीज़ के उत्पादन की स्वदेशी विधि के बदले वैज्ञानिक या यांत्रिक विधि को अपनाने से इसका चरित्र बदल जाता है। इसलिए, यह कहना कि मिल या कारखानों में उत्पादित चीनी को कृषि उपज नहीं माना जा सकता है, अन्य राज्यों के कानूनों में अधिनियम के समान प्रावधानों की न्यायिक व्याख्या और वैधानिक भाषा दोनों के खिलाफ है। [145 सी-डी, एफ]

केवल कृष्ण पुरी बनाम पंजाब राज्य, [1979] 3 एससीआर 1217; रमेश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1980] 3 एस. सी. आर. 166; राठी खंडसारी उद्योग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1982] 2 एस. सी. आर. 966; श्रीनिवासा जनरल ट्रेडर्स बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 1264; रमेश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1980] 3 एस. सी. आर. 194 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम गंगा दास मिल, [1985] एस. सी. आर. 87-88, संदर्भित।

हैल्सबरीज लॉ ऑफ इंग्लैंड, खंड 1 और अनुच्छेद 1845, संदर्भित।

2. कानून की मान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि चीनी कानून समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के दायरे में हैं, तो सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 52 और सूची

II की प्रविष्टि 28 के बीच टकराव पर आगे कोई चर्चा आवश्यक नहीं है। केन्द्रीय और राज्य विधान में कोई प्रतिकूलता नहीं है। अगर कोई होती भी तो, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर चुका अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 254 (2) द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। [146 बी-डी]

चौधरी टीका राम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1956] एस सी आर 393, पालन किया।

> मूल अपीलीय क्षेत्राधिकार: रिट याचिका सं. 1555/1979 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)।

याचिकाकर्ताओं के लिए डी. एन. द्विवेदी और सर्व मित्तर। डॉ. एल. एम. सिंघवी, बी. डी. शर्मा, श्री नारायण, संदीप नारायण, श्रीद रिज़वी और डी. के. सिंह प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय आर. एम. सहाय, न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।

मंडी प्रांगण अथवा उप मंडी में कृषि उपज की खरीद और बिक्री पर राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 (संक्षिप्तता के लिए अधिनियम) द्वारा मंडी शुल्क लगाने की वैधता को विक्रेताओं द्वारा विधायी क्षमता की कमी, संविधान के अनुच्छेद 14,19,301 और 304 के उल्लंघन, भुगतान किए गए शुल्क और प्रदान की गई सेवा में प्रतिकर के अभाव, खंडसरी, शक्कर, गुड़ और चीनी जैसी विनिर्मित वस्तुओं को अनुसूची में कृषि उपज के रूप में अवैध और मनमाने ढंग से शामिल करने पर चुनौती दी गई।

अन्य राज्यों के अधिनियम, उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिनियमों की इसी तरह की दुर्बलताओं के लिए आलोचना की गई। क्या ये याचिकाएं, जो समान प्रतीत होती हैं, उन याचिकाओं में से किसी का पुनरुत्पादन हैं, जो इस न्यायालय में पहले से लंबित थीं, यह प्रासंगिक नहीं है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के डीलरों की याचिकाओं के विभिन्न समूह जिन्होनें अधिनियम की संवैधानिकता और वैधता, और पंजाब अधिनियम की अनुसूची में कृषि उपज के रूप में गुड़, खंडसारी और शक्कर को शामिल करने वाले इसके प्रावधानों को दी गई चुनौती को निम्न मामलों में निर्णयों के कारण विभिन्न पीठों द्वारा खारिज कर दिया गया है- केवल कृष्ण पुरी बनाम पंजाब राज्य, [1979] 3 एससीआर 1217; रमेश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1980] 3 एस. सी. आर. 166; राठी खंडसारी उद्योग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1982] 2 एस. सी. आर. 966, और श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए.आई.आर 1983 एस. सी. 12641

इन निर्णयों के कृषि उपज से संबंधित विपणन कानूनों की वैधता निर्धारित करने के लिए बुनियादी सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या के बावजूद याचिकाकर्ता इसे आसानी से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि इनमें से कोई भी निर्णय चीनी से संबंधित नहीं था। यह आग्रह किया गया कि अधिनियम की अनुसूची में चीनी को शामिल करना मनमाना था, मुख्य रूप से क्योंकि यह अनुसूची VII की सूची I की प्रविष्टि 52 के तहत सार्वजनिक महत्व की घोषित वस्तु होने के कारण

राज्य विधानमंडल को इस पर कानून बनाने से रोक दिया गया था। अनुसूची में इसे शामिल करने की इसलिए भी आलोचना की गई क्योंकि यह एक मिल या फैक्ट्री उत्पाद होने के कारण इसे कृषि उत्पाद नहीं माना जा सकता था जो मूल रूप से मिट्टी के या मिट्टी से उत्पादन तक ही सीमित है।

चीनी उन वस्तुओं में से एक है जिसे शुरुआत से ही वैधानिक रूप से अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया था। इस तरह का समावेशन महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि में पाया जाता है। क्या इसे बाद में हटा दिया गया या फिर से शामिल किया गया या फिर से समूहीकृत किया गया हो या बाद में जोड़ा गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अधिनियम की धारा 40 राज्य सरकार को कृषि उपज की अनुसूची में किसी भी वस्तु को संशोधित करने या शामिल करने का अधिकार देती है। इस तरह की प्रत्यायोजित शक्ति का अस्तित्व कानूनों की सामान्य विशेषता है। इसमें कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं बताई जा सकती थी। इसलिए, विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यायोजन पर आधारित किसी भी चुनौती को गलत समझा गया।

अनुसूची में चीनी को शामिल करने को मनमाना होने का आग्रह किया गया क्योंकि यह मिट्टी से उत्पादन नहीं किया जाता जो कि कृषि उत्पादन का मूल घटक है। निवेदन की भ्रांति स्पष्ट है क्योंकि यह अधिनियम में 'कृषि उपज' शब्द की परिभाषा की पूर्णतः उपेक्षा करता है जिसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन या अन्यथा जैसे अनुसूची में निर्दिष्ट हो शामिल है। किसी शब्द को जोड़ने या शामिल करने और कृत्रिम रूप से भी परिभाषित करने की विधायी शक्ति के अलावा, परिभाषा जो संपूर्ण नहीं है लेकिन समावेशी है, न तो मिल या कारखानों में उत्पादित किसी भी वस्तु को बाहर करती है और न ही यह अपने दायरे को मिट्टी के उत्पाद तक सीमित करती है। अगर सरंचना इस प्रकार की है तो पशुपालन के सभी उत्पाद बहिष्कृत रहेंगे। यह अभिव्यक्ति के उस दायरे 'या अन्यथा जैसे अनुसूची में निर्दिष्ट हो' को भी नज़रअंदाज कर देता है। न ही किसी भी चीज़ के उत्पादन की स्वदेशी विधि के बदले वैज्ञानिक या यांत्रिक विधि को अपनाने से इसका चरित्र बदल जाता है। खंडसारी चीनी, जो खुले पैन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होती है और वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा बनाई गई चीनी से अलग नहीं होती है, सिवाय संरचना, निस्पंदन और चालकता के जैसा कि राठी खंडसारी उद्योग (ऊपर) में कहा गया, कुछ निर्णयों में कृषि उपज मानी गई थी। उत्पादन की विधि, अर्थात् आधुनिक संयंत्र और मशीनरी में कोई अंतर नहीं किया गया था। इसलिए, यह कहना कि मिल या कारखानों में उत्पादित चीनी को कृषि उपज नहीं माना जा सकता है, अन्य राज्यों के कानूनों में अधिनियम के समान प्रावधानों की वैधानिक भाषा और न्यायिक व्याख्या दोनों के खिलाफ है। रमेश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1980] 3 एस. सी. आर. 194 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम गंगा दास मिल, [1985] एससीआर 87-88 में मिलों में उत्पादित चावल या दाल को कृषि उपज माना गया है।

यहाँ तक कि हैल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड के खंड-। में कृषि विपणन योजनाओं के उद्देश्य के लिए कृषि उपज शब्द को 'कृषि या बागवानी के किसी भी उत्पाद और कोई भी खाद्य या पेय जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से ऐसे किसी भी उत्पाद और ऊन (सभी प्रकार की ऊन सहित) और जानवरों की खाल से निर्मित या प्राप्त' के रूप में समझा जाता है। उसी खंड में कृषि के अंतर्गत ई. ई. सी. संधि के प्रावधानों द्वारा कवर किए गए उत्पादों (1965 के ब्रसेल्स नामकरण के अनुसार वर्गीकृत) का उल्लेख पैराग्राफ 1845 में किया गया है। चीनी उनमें से एक है।

चीनी पर कानून बनाने के राज्य के निषेध के संबंध में एक और कानूनी चुनौती, या कब्जे वाले क्षेत्र की बार बार दलील किसी भी सार से ज्यादा आकर्षक अधिक थी।संविधान के अनुच्छेद 246 पर निर्भरता केवल अकादिमक थी। जहाँ तक पीछे की बात है 1956 में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने चौधरी टीका राम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1956] एस. सी. आर. 393 के मामले की विस्तार से जांच की और चीनी कानूनों को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के दायरे में रखा। यह देखा गया कि केंद्र द्वारा जारी किए गए सभी अधिनियमों और अधिसूचनाओं में चीनी और गन्ने के संबंध में समवर्ती अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अधिनियमित किया गया था। इसके प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया गया था, 'प्रांतीय विधान मंडल के साथ-साथ केंद्रीय विधान मंडल इस तरह के विधान बनाने में सक्षम होंगें और विधायी क्षमता का कोई सवाल ही नहीं उठेगा।' इन परिस्थितियों में सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 52 और सूची II की प्रविष्टि 28 के बीच टकराव पर कोई और चर्चा अनावश्यक है। जहां तक कब्जे किए गए क्षेत्र पर निवेदन का संबंध है, यह कहना पर्याप्त है कि केंद्र और राज्य के विधान में कोई प्रतिकूलता नहीं है। कम से कम एक भी उजागर नहीं की गई। यदि कोई होती भी तो, चूंकि अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है यह अनुच्छेद 254 (2) द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है।

इन कारणों से ये याचिकाएं विफल हो जाती हैं और हर्जे-खर्चे के साथ खारिज कर दी जाती हैं।

एन. पी. वी

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।